संख्या- 911/2023/2916/35-4-2023/35-4099/350/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 18 दिसम्बर, 2023

विषय:- जनपद- सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या- 423/2021/2300/35-4-2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में 14 परियोजनाओं हेतु रू० 299.33 लाख (जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 200.15 लाख (रूपए दो करोड पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक- 552/त्व०आ०वि०यो०/2023-24 दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि में से निम्नलिखित 06 परियोजनाओं (उक्त शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के क्रमांक- 1,2,6,8,12 एवं 13 पर अंकित) हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 90.00 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 84.44 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 84,44,000/- (रूपये चौरासी लाख चवालीस हज़ार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	पी०डब्लू0 रोड से पकड़ी पावर हाउस तक सी०सी० रोड का निर्माण ।	39.35	15.00	24.35	24.35
2.	पिपरहवा गाँव से मझवन जूनियर	25.98	15.00	10.98	10.98

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

	हाईस्कूल तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य				
3.	ग्राम पंचायत नीवी में गेन रोड से गाँव के ट्रांसफार्मर होते हुए पुलिया तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	38.89	15.00	23.89	23.89
4.	ग्राम पंचायत मनिकौरा टोला चहिरवा से केवटली सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	27.52	15.00	12.52	12.52
5.	ग्राम पंचायत जुगडिहवा बरखू के घर से जाकिर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	19.36	15.00	4.36	4.36
6.	ग्राम पंचायत धनौरा मुस्तहकम में नईम के घर से लल्लू के घर होते हुए राजेन्द्र काका के घर होते हुए गुलाब महीउद्दीन बब्लू के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	23.34	15.00	8.34	8.34
	योग	**174.44**	**90.00**	**84.44**	**84.44**

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 84,44,000/- (रूपये चौरासी लाख चवालीस हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 911/2023/2916(1)/35-4-2023/35-4099/350/2021, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिद्धार्थनगर ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार
द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**